राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस0यू0एल0एम0) उ0प्र0
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,– सूडा उ.प्र.)
प्रथम तल,पर्यटन भवन,विपिन खण्ड,गोमती नगर, लखनऊ 226010
दूरभाष एवं फैक्सः 0522–2307798 e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

पत्रांक– 608 / 241 / NULM / तीन / 2001(SM&ID)-III दिनांक– 20-9-17

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
   जिला नगरीय विकास अभिकरण उ0प्र0।
2. समस्त सिटी प्रोजेक्ट आफिसर / परियोजना निदेशक,
   शहर मिशन प्रबन्धन इकाई, डूडा उ0प्र0।

विषय : दीनदयाल अन्त्योदय योजना (DAY)–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों (SHG) को रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0–293 / 241 / NULM / तीन / 2001(SM&ID)-II दिनांक 19.05.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विगत वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में इस घटक के अन्तर्गत शहरों में गठित क्रियाशील स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड रू0 10,000 / –दिशा निर्देशों के अनुसार अवमुक्त किये जाने की अपेक्षा की गयी है। अपितु शहरों से प्राप्त अगस्त माह की मासिक आख्या के अनुसार रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त किये जाने की गति अत्यन्त धीमी है, जिस पर भारत सरकार एवं शासन द्वारा निरन्तर असन्तोष व्यक्त किया जा रहा है।

स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त किये जाने हेतु विस्तृत दिशानिर्देश इस कार्यालय के पत्र सं0–498 / 241 / NULM / तीन / 2001 (RO-III) दिनांक 30.06.2016 एवं संशोधित दिशानिर्देश पत्र सं0–965 / 241 / NULM / तीन / 2001(SM&ID)-II दिनांक 22.12.2016 के द्वारा निर्गत किये गये है।

शहरों में विगत वर्षो मे गठित स्वयं सहायता समूहों को निर्धारित समयसीमा मे रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त न किये जाने / रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त किये जाने की गति अत्यन्त धीमी होने के कारण इस घटक के प्रगति पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तथा आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। समूहों की क्रियाशीलता भी प्रभावित हो रही है तथा एस0एच0जी0 बैंक लिंकेज भी अपेक्षित संख्या मे नहीं हो पा रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि शहरी गरीबी निवारण की दिशा में विशेष योगदान देने के इस कार्य को शहरों के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है, जिससे शासन एवं भारत सरकार में विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है।

उल्लेखनीय है कि विगत दिनांक 18.08.2017 को आयोजित गवर्निंग काउन्सिल की बैठक मे कौन्सिल के अध्यक्ष माननीय मुख्य मंत्री उ0प्र0 के समक्ष भारत सरकार के प्रतिनिधि द्वारा स्वयं सहायता समूहों को निर्धारित समय सीमा मे अपेक्षित संख्या मे रिवाल्विंगम फण्ड अवमुक्त न किये जाने के तथ्य को संज्ञान मे लाया गया, जिस पर मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल रिवाल्विंग फण्ड निर्गत किये जाने के निर्देश दिये गये है। उक्त के साथ ही दिनांक 01.09.2017 को सचिव भारत सरकार द्वारा मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन की उपस्थिति मे आयोजित बैठक मे भी स्वयं सहायता समूहों को समय से रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त न किये जाने को भी गम्भीरता से लेते हुए तत्काल स्वयं सहायता समूहों को दिशा निर्देशों के अनुसार रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के दृष्टिगत शहरी गरीबी निवारण हेतु संचालित दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के क्रियान्वयन में तेजी लाते हुए प्रगति में तत्काल सुधार किया जाना सुनिश्चित किया जाना है। मा0 मुख्य मंत्री जी की प्राथमिकता एवं दिये गये निर्देशों के अनुक्रम मे क्रियाशील स्वयं सहायता समूहों को गाइडलाइन के परिपेक्ष्य मे तेजी से रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत अपने स्तर से समीक्षा कर प्रगति में तेजी लाते हुए विगत वर्षो के साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष में गठित एवं 03 माह के क्रियाशील एस0एच0जी0 को गाइडलाइन के अनुसार तत्काल रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त कराने के साथ ही एस0एच0जी0 गठन एवं उनके हैण्डहोल्डिंग सपोर्ट हेतु कार्यरत संदर्भ संस्थाओं को भी इस कार्यालय के पत्र सं0–966/241/NULM/तीन/2001(SM&ID)-II दिनांक 22.12.2016 के अनुक्रम में भुगतान नियमानुसार कराने का कष्ट करें ताकि घटक के अन्तर्गत अपेक्षित वित्तीय प्रगति उपलब्धि की जा सके।

भवदीय

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त परियोजना अधिकारी/शहर मिशन प्रबन्धक, सामाजिक विकास एवं अवस्थापना को अनुपालनार्थ।
3. सम्बन्धित आर0ओ0 को अनुपालनार्थ।
4. सहायक वेब मास्टर सूडा को सूडा उ0प्र0 की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक